

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 909वी बैठक दिनांक  
11.11.2025 का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 909वी बैठक दिनांक 11.11.2025 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एफ़ो, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :-

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री. दीपक आर्य, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

| क्र | प्रकरण क्र.  | अधिसूचित श्रेणी | जिला       | परियोजना             | SEAC अनुशंसित/परिवेश पोर्टल पर आवेदित द्वारा | प्राधिकरण का निर्णय                   |
|-----|--------------|-----------------|------------|----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.  | 10938/2023   | 1(a)            | रतलाम      | रेत खदान             | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं      | निरस्त                                |
| 2.  | P2/1505/2025 | 1(a)            | छिन्दवाड़ा | पत्थर खदान           | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति                    | पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये। |
| 3.  | P2/1528/2025 | 1(a)            | छिन्दवाड़ा | पत्थर खदान           | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति                    | पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये। |
| 4.  | P2/1617/2025 | 1(a)            | रतलाम      | मुरुम खदान           | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति                    | पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये। |
| 5.  | P2/1616/2025 | 1(a)            | शिवपुरी    | फर्शीपत्थर खदान      | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति                    | पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये। |
| 6.  | P2/1613/2025 | 1(a)            | शिवपुरी    | मुरुम खदान           | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति                    | पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये। |
| 7.  | P2/1607/2025 | 1(a)            | उज्जैन     | पत्थर खदान           | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति                    | पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये। |
| 8.  | P2/1606/2025 | 1(a)            | धार        | पत्थर खदान           | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति                    | पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये। |
| 9.  | P2/1604/2025 | 1(a)            | छतरपुर     | पत्थर खदान           | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति                    | पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये। |
| 10. | P2/1601/2025 | 1(a)            | देवास      | पत्थर एवं मुरुम खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति                    | पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये। |

(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 909वी बैठक दिनांक  
11.11.2025 का कार्यवाही विवरण**

|                                                 |              |      |            |                                |                           |                                       |
|-------------------------------------------------|--------------|------|------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 11.                                             | 10776/2023   | 1(a) | छतरपुर     | पायरोफायला ईट एवं डायसपोर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये। |
| 12.                                             | 10919/2023   | 1(a) | शिवपुरी    | पत्थर खदान                     | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये। |
| 13.                                             | 10844/2023   | 1(a) | उमरिया     | मार्बल खदान                    | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये। |
| 14.                                             | P2/990/2024  | 1(a) | नीमच       | पत्थर खदान                     | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये। |
| 15.                                             | P2/1611/2025 | 1(a) | छतरपुर     | पत्थर खदान                     | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित।   |
| 16.                                             | 9876/2023    | 1(c) | धार        | सिचाई परियोजना                 | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये। |
| 17.                                             | P2/1709/2025 | 1(a) | धार        | पत्थर खदान                     | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | Defer                                 |
| 18.                                             | P2/1971/2025 | 1(a) | शिवपुरी    | पत्थर खदान                     | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | Defer                                 |
| 19.                                             | P2/1974/2025 | 1(a) | धार        | पत्थर खदान                     | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | Defer                                 |
| 20.                                             | P2/1308/2025 | 8(a) | इन्दौर     | भवन निर्माण                    | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | Defer                                 |
| <b>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु :</b> |              |      |            |                                |                           |                                       |
| 1                                               | 152/2008     | 1(a) | छिन्दवाड़ा | डोलोमाईट खदान                  | संशोधन                    | संशोधन जारी किया जाये                 |

(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 909वी बैठक दिनांक  
11.11.2025 का कार्यवाही विवरण**

1. Proposal No.: SIA/MP/MIN/519091/2025, Case No 10938/2023 Prior Environment Clearance for Sand Quarry (Opencast manual method), in an area of 8.00 hectare, for production capacity of 3140 cum per annum, at Khasra No.- 153, Village - Lakshmipura, Tehsil-Alot, District-Ratlam (MP) by The MP State Mining Corporation Limited, Shri Dinesh Sharma Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 794वी बैठक दिनांक 17.05.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

“ .....प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया कि लीज क्षेत्र के बीच में एक रोडब्रिज (नेशनल हाईवे पर) का स्थित है सैंड माईनिंग गाईडलाईन वर्ष 2016 एवं 2020 के अनुसार रोडब्रिज के दोनो ओर निर्धारित दूरी छोड़ने पर लीज क्षेत्र खनन हेतु समाप्त हो जाता है, अतः प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये अनुशंसा योग्य नहीं पाया गया है।”

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय संवेदनशीलता एवं SEAC की 794वी बैठक दिनांक 17.05.2025 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 909वी बैठक दिनांक  
11.11.2025 का कार्यवाही विवरण**

**2. Proposal No.: SIA/MP/MIN/522543/2025, Case No. P2/1505/2025 Prior Environmental Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.00 ha. for production capacity Stone- 8912 cum per annum & M Sand- 2228 cum per annum, at Khasra No. 305/2, Village Pandupipariya Tehsil- Tamia District Chhindwara (M.P.) by Shri Virendra Sahu, Owner, Village Pandupipariya Tehsil-Tamia District Chhindwara (MP) 480559**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 807वी बैठक दिनांक 03.07.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 807वी बैठक दिनांक 03.07.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल के आदेश क्रमांक 10055-56 दिनांक 13.09.2024 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 12.09.2034 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्राकृतिक नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुमंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 909वी बैठक दिनांक  
11.11.2025 का कार्यवाही विवरण**

- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मों के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
  - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 909वी बैठक दिनांक  
11.11.2025 का कार्यवाही विवरण

3. Proposal No.: SIA/MP/MIN/536080/2025, Case No. P2/1528/2025 Prior Environmental Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.00 ha. for production capacity of 11,422 Cum Per Year, at Khasra No. 185/1, Village Khakrachourai Tehsil Amarwara District Chhindwara (M.P.) by Shri Amit Dwevedi S/O Shri Niranjana Prasad Dwevedi Address- Chhindwara Tehsil-Chhindwara, District-Chhindwara (MP)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 810वी बैठक दिनांक 12.07.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 810वी बैठक दिनांक 12.07.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिन्दवाड़ा के पत्र क्रमांक 1600 दिनांक 14.11.2024 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 13.11.2034 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 909वी बैठक दिनांक  
11.11.2025 का कार्यवाही विवरण

- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
  - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

**4. Proposal No.: SIA/MP/MIN/539315/2025, Case No. P2/1617/2025 Prior Environmental Clearance for Murrum Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 3.00 ha. for production capacity 25,000 m<sup>3</sup> /year at Khasra No. 861/1, Village- Rojana, Tehsil- Jaora, District- Ratlam (M.P.) by Shri Sachin Dungarwal S/o Shri Shripal Dungarwal R/o:519, Ringnod, Tehsil Jaora District Ratlam (M.P.)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 813वी बैठक दिनांक 22.07.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 813वी बैठक दिनांक 22.07.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वी बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 1406 दिनांक 03.10.2024 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 02.10.2034 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संक्रिया आरंभ करने के पूर्व खदान क्षेत्र में मौजूद 08 वृक्षों में से काटे जाने वाले 02 वृक्षों के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत 20 पौधों का रोपण किया जाये व संरक्षण हेतु टी गार्ड लगाये जाये तथा शेष बचे पेड़ों का संरक्षण किया जायेगा। उक्त काटे जाने वाले वृक्षों को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरांत ही काटा जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

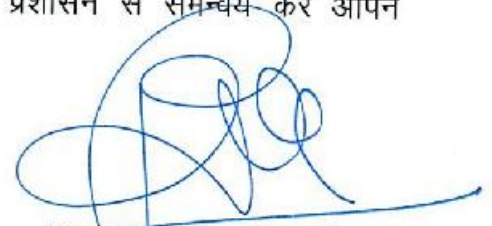
**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 909वी बैठक दिनांक  
11.11.2025 का कार्यवाही विवरण**

- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मों के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
  - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 909वी बैठक दिनांक  
11.11.2025 का कार्यवाही विवरण**

**5. Proposal No.: SIA/MP/MIN/539207/2025, Case No. P2/1616/2025 Prior Environment Clearance for Flagstone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.00 ha. for production capacity 6000 m3/year at Khasra No. 494 (Govt. land) Village-Vedmau, Tehsil- Rannod, District Shivpuri (M.P.) by Smt. Munni Bai Aadiwashi W/o Shri Bhagirath Aadiwashi, R/o- Village -Sandhu Farm Gadhala (Chack) Chharch, Shivpuri, (M.P.)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 813वी बैठक दिनांक 22.07.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 813वी बैठक दिनांक 22.07.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 1751 दिनांक 24.10.2024 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 23.10.2034 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 909वी बैठक दिनांक  
11.11.2025 का कार्यवाही विवरण**

- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मों के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
  - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 909वी बैठक दिनांक  
11.11.2025 का कार्यवाही विवरण**

**6. Proposal No.: SIA/MP/MIN/538865/2025 Case No P2/1613/2025 Prior Environment Clearance for Murum Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 4.00 ha. for production capacity 10,000 m<sup>3</sup>/year, at Khasra No. – 412, Village - Ramabasai, Tehsil- Shivpuri, District Shivpuri (M.P.) by Smt. Sashi Rawat W/o Shri Bhikam Singh Rawat, R/o - Village - Singhniwas, Tehsil- & District - Shivpuri, (M.P.) -473551**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 813वी बैठक दिनांक 22.07.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 813वी बैठक दिनांक 22.07.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 439 दिनांक 11.03.2024 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 10.03.2034 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर एवं देवस्थान से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संक्रिया आरंभ करने के पूर्व खदान क्षेत्र में मौजूद 08 वृक्षों में से काटे जाने वाले 02 वृक्षों के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत 20 पौधों का रोपण किया जाये व संरक्षण हेतु टी गार्ड लगाये जायें तथा शेष बचे पेड़ों का संरक्षण किया जायेगा। उक्त काटे जाने वाले वृक्षों को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरांत ही काटा जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(दीपक अर्य)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

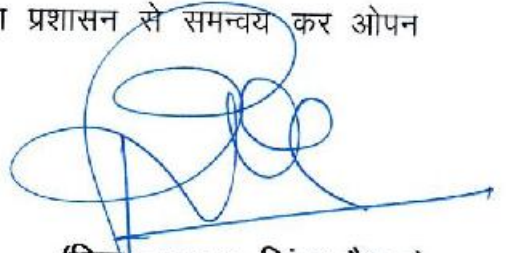
**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 909वी बैठक दिनांक  
11.11.2025 का कार्यवाही विवरण**

- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मों के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर ऊर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
  - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 909वी बैठक दिनांक  
11.11.2025 का कार्यवाही विवरण**

**7. Proposal No.: SIA/MP/MIN/505553/2025 Case No P2/1607/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.780 ha. for production capacity of Gitti – 24,000 cum per year & M-Sand 6,000 cum per year at Khasra No. 1381/1, Village- Ujjainiya, Tehsil Ghattiya, District- Ujjain (M.P.) by M/s Vasundhara Minerals and Mines, Partner Smt. Nidhi Mandloi, R/o 5, Shalimar building, Ujjain-Indore Highway road, Ujjain (M.P.)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 813वी बैठक दिनांक 22.07.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 813वी बैठक दिनांक 22.07.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 2319 दिनांक 09.09.2024 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 08.09.2034 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मों के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 909वी बैठक दिनांक  
11.11.2025 का कार्यवाही विवरण

- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
  - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

8. Proposal No.: SIA/MP/MIN/519942/2025 Case No P2/1606/2025 Prior Environment Clearance for Stone (Gitti) Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.00 ha. (As per SEAC recommendation mineable area is 0.90 ha.) for production capacity 30,000 cum per year at Khasra No. 341 (Govt. Land), Village Kharjuni, Tehsil Sardarpur District-Dhar (M.P.) by M/s Dhanlaxmi Construction and Suppliers, Partner Shri Manohar Patidar, R/o H.No-22, Village-Rajdhar, Mundla, Dostadar, Kampel road, Indore (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 813वी बैठक दिनांक 22.07.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 813वी बैठक दिनांक 22.07.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के पत्र क्रमांक 714 दिनांक 13.03.2024 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 12.03.2034 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले मानब बसाहट से न्यूनतम 200 मीटर एवं कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन हेतु आवंटित कुल 4.00 हे. में से मात्र 0.90 हे. क्षेत्र में ही उत्खनन कार्य किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 909वी बैठक दिनांक  
11.11.2025 का कार्यवाही विवरण**

- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मों के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
  - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 909वी बैठक दिनांक  
11.11.2025 का कार्यवाही विवरण**

**9. Proposal No.: SIA/MP/MIN/532333/2025, Case No P2/1604/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 3.999 ha., for production capacity of 20,703 Cubic Meter (Gitti- 5070m<sup>3</sup>/year & M-Sand -15,633 m<sup>3</sup>/year), at Khasra No. 304/1, Village – Devpur, Tehsil – Ghuwara, District- Chhatarpur (M.P.) by Shri Bhakti Raja Bundela, R/o Ward No. 10, Dixit Colony, Ghuwara, Chhatarpur (M.P.).**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 813वी बैठक दिनांक 22.07.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 813वी बैठक दिनांक 22.07.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया –

- (i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल के आदेश क्रमांक 13209 दिनांक 05.10.2023 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 04.10.2033 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले तालाब से न्यूनतम 200 मीटर एवं प्राकृतिक नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(दीपक अर्य)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 909वी बैठक दिनांक  
11.11.2025 का कार्यवाही विवरण

- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मों के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
  - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 909वी बैठक दिनांक  
11.11.2025 का कार्यवाही विवरण**

**10. Proposal No.: SIA/MP/MIN/528699/2025, Case No. P2/1601/2025 Prior Environment Clearance for Stone & Murrum Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 3.00 ha. for production capacity of Murrum - 5000 cum per year, Gitti - 25,000 cum per year & M-Sand 10,000 cum per year, at Khasra No. 9, 10, 11/1 & 11/2, Village-Vijaypur, Tehsil and District-Dewas (M.P.) by Shri Dharmendra Singh Parmar, R/o Village Kawdi, Tehsil and District Dewas (MP).**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 813वी बैठक दिनांक 22.07.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 813वी बैठक दिनांक 22.07.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया -

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) देवास के आदेश क्रमांक 1434 दिनांक 27.09.2024 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 26.09.2034 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुरेन्द्रा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

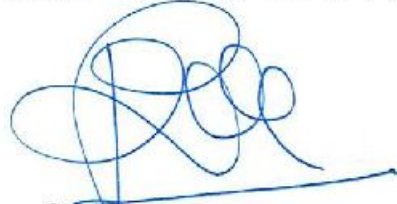
**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 909वी बैठक दिनांक  
11.11.2025 का कार्यवाही विवरण**

- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मों के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
  - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 909वी बैठक दिनांक  
11.11.2025 का कार्यवाही विवरण**

**11.Proposal No.: SIA/MP/MIN/518363/2025 Case No. 10776/2023 Prior Environment Clearance for Pyrophyllite and Diaspore Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.974 ha. for production capacity 10920 TPA, at Khasra No. 131/3, 131/1, 187/1kh, 193, Village Garhi, Tehsil-Maharajpur, District-Chhatarpur (M.P.) by Shri Ajay Pal Singh, Partner and Authorized Signatory, M/s Khajuraho Minerals Limited, 6 km, Sagar Road, Dhadari, District Chhatarpur (M.P.)-471001**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 813वी बैठक दिनांक 22.07.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 813वी बैठक दिनांक 22.07.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया -

- (i) म.प्र. खनिज साधन विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक 3253/1369665/2023/12/1 दिनांक 12.07.2023 के अनुसार दिनांक 09.09.2036 तक की स्वीकृति प्राप्त है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 09.09.2036 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हों। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारु रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारु रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निवारण प्राधिकरण म.प्र. की 909वी बैठक दिनांक  
11.11.2025 का कार्यवाही विवरण**

- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ों के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
  - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 909वी बैठक दिनांक  
11.11.2025 का कार्यवाही विवरण**

**12. Proposal No.: SIA/MP/MIN/519560/2025, Case No. 10919/2023 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 4.00 ha. for production capacity 37572 cum per year, at Khasra No. 1104, Village-Parichchha Kirar, Tehsil-Pohri, District-Shivpuri (M.P.) by Shri Shubam Bansal, Partner, M/s Shri Girraj Ji Stone Crusher, R/o Gautam Vihar Colony, Circuit House Road, District-Shivpuri (MP)-473551**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 813वी बैठक दिनांक 22.07.2025, 774वी बैठक दिनांक 18.02.2025 एवं 777वी बैठक दिनांक 11.03.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 813वी बैठक दिनांक 22.07.2025, 774वी बैठक दिनांक 18.02.2025 एवं 777वी बैठक दिनांक 11.03.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) शिवपुरी द्वारा निष्पादित लीज अनुबंध दिनांक 28.03.2018 के अनुसार 10 वर्ष (दिनांक 13.03.2028 तक) की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 13.03.2028 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।
- (v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 909वी बैठक दिनांक  
11.11.2025 का कार्यवाही विवरण

- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
  - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

**13. Proposal No.: SIA/MP/MIN/532527/2025, Case No. 10844/2023 Prior Environment Clearance for Marble Mine (Opencast semi mechanized method), in area of 8.457 ha. for production capacity 45600 cum per year, at Khasra No. 127, 132, 139, 140, 141, 142, 143, Village-Kotalde, Tehsil Bilaspur, District-Umaria (M.P.) by M/s S.K. Marble, Partner Shri Suresh Kumar Mittal, R/o 24, Commercial Complex, House Board Colony, P.O. Katni, District-Katni (M.P.)-483501**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 814वी बैठक दिनांक 26.07.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 814वी बैठक दिनांक 26.07.2025 की विशिष्ट शर्तों सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया -

- (i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल के आदेश क्रमांक 8239-40 दिनांक 30.06.2023 के अनुसार 30 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 29.06.2053 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iv) क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारु रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारु रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 909वी बैठक दिनांक  
11.11.2025 का कार्यवाही विवरण**

- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मों के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
  - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 909वी बैठक दिनांक  
11.11.2025 का कार्यवाही विवरण**

**14. Proposal No.: SIA/MP/MIN/525344/2025 Case No. P2/990/2024 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.50 ha. for production capacity Stone – 10500 m<sup>3</sup>/Year & M-Sand 4500 cum per year at Khasra No. 1248, 1249, Village Fusriya, Teshil – Singoli, Distt. Neemuch (M.P.) by Shri Narotam Dhaker, R/o Dhakro ka Mohlla, Dobiya, Bhilwara, Rajasthan.**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 814वी बैठक दिनांक 26.07.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 814वी बैठक दिनांक 26.07.2025 की विशिष्ट शर्तों सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया –

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के पत्र क्रमांक 412 दिनांक 07.03.2024 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 06.03.2034 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

- (vii) क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारु रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारु रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (x) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मों के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 909वी बैठक दिनांक  
11.11.2025 का कार्यवाही विवरण

- (xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
  - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 909वी बैठक दिनांक  
11.11.2025 का कार्यवाही विवरण**

15. Proposal No.: SIA/MP/MIN/524589/2025 Case No. P2/1611/2025 Prior Environment Clearance for Stone Mine (opencast semi mechanized method), in an area of 2.485 ha. for production capacity Gitti-15,000m<sup>3</sup>/year, Boulder-1000m<sup>3</sup>/year & M-sand-4000m<sup>3</sup>/year, at Khasra No. 123/3/1, 124/1, 124/2, Village – Maandhpur, Tehsil – Buxwaha, District- Chhatarpur (M.P.) by Rekha patel, Lessee, Village Khiriya Madla, Damoh (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 814वी बैठक दिनांक 26.07.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

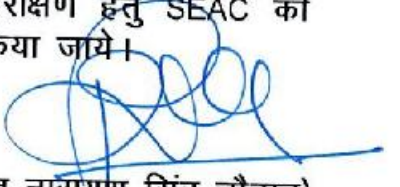
प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रकरण में श्री अनूप रघुवंशी, जिला छतरपुर से ई-मेल दिनांक 10.11.2025 को प्राप्त शिकायत अनुसार उक्त प्रकरण के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान श्री तरुण कुमार जैन रकबा 1.73 हे. एवं श्री रजत चौधरी रकबा 1.589 हे. की संचालित होना बताया गया है जिनको गिलाकर कुल रकबा 5.00 हे. से अधिक का होता है एवं प्रकरण बी-1 श्रेणी का बताया गया है।

प्राधिकरण द्वारा प्राप्त शिकायत के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज का परीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान प्रकरण क्रमांक 8091/2021 रकबा 1.73 एवं प्रकरण क्रमांक 9255/2022 रकबा 1.589 में प्राधिकरण द्वारा पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है जिनको गिलाकर कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक का होना परिलक्षित है, अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 909वी बैठक दिनांक  
11.11.2025 का कार्यवाही विवरण**

**16. Proposal No.: SIA/MP/RIV/518356/2025 Case No 9876/2023: Prior Environment Clearance for Kukshi Micro Lift Irrigation Project has been conceived to cater irrigation water to about 75,000 Ha. of CCA in Dhar district. (115 villages of Kukshi Tehsil, 98 villages of Gandwani tehsil, 01 village of Dahi Tehsil and 33 villages of Manawar Tehsil, District-Dhar) (MP) by Chief Engineer, NVDA Lower Narmada Projects, Narmada Bhavan, B-G, Scheme No. 74-C, Vijay Nagar Indore (MP), Email: cenvda.alirajpur@gmail.com Mob: 9826358396**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 768वी बैठक दिनांक 28.01.2025 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। जिसका विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 42 से 62 पर अंकित है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 869वी बैठक दिनांक 15.02.2025 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

" राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्नानुसार स्थिति पाई गई :-

1. परियोजना में 220.44 हेक्टेयर वन भूमि (152.873 हेक्टेयर आरक्षित वन और 67.567 हेक्टेयर संरक्षित वन) से पूरी की जाएगी। डायवर्सन के लिए प्रस्ताव संदर्भ संख्या FP/MP/HYD/IRRIG/447025/2023 के माध्यम से आवेदित है का विवरण SEAC समिति के कार्यवाही विवरण में उल्लेखित है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना की पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी चरण-1 की वन मंजूरी (State-1 Forest Clearance) प्राप्त कर परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड की जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक परिवेश पोर्टल पर राज्य सरकार से परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति का दस्तावेज अपलोड नहीं किया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक से उक्त परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति का दस्तावेज परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन प्राप्त किया जाये।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु क्र. 1 से 2 तक की जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन प्रस्तुत करने के उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा।"

उक्त के परिपालन में EE, Narmada Valley Development Authority District Dhar के email दिनांक 23.10.2025 द्वारा MPSEIAA व PARIVESH पोर्टल पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर 2025 को जारी स्टेज-1 वन स्वीकृति की प्रति व परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति की प्रति प्रस्तुत की गयी।

उक्त प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :-

1. यह प्रकरण कुक्षी माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना 75,000 हेक्टेयर (सीसीए) में धार जिले (एमपी) कुक्षी तहसील के 115 गांव, गंधवानी तहसील के 98 गांव, डही तहसील का 01 गांव और मनावर तहसील के 33 गांवों के क्षेत्र में सिंचाई हेतु (नदी घाटी और जलविद्युत परियोजनाओं के तहत) के लिए पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है।

(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 909वी बैठक दिनांक  
11.11.2025 का कार्यवाही विवरण**

2. प्रस्तावित प्रकरण नदी घाटी परियोजना की है अत ईआईए अधिसूचना 2006 एवं यथासंशोधित अधिसूचना दिनांक 20.04.2022 के अनुसार उक्त परियोजना का सीसीए 10000 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण अधिसूचना की अनुसूची के कॉलम बी के अंतर्गत श्रेणी 1 (सी) कैटेगरी में "बी1" के अंतर्गत शामिल है, इसलिए ऐसी परियोजनाओं को एसईआईए से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।
3. कुक्षी माइक्रो लिफ्ट सिंचाई योजना कुक्षी जिले की कुक्षी, गंधवानी, मनावर और डही तहसीलों के 247 गांवों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है।
4. इस परियोजना में 31.25 हेक्टेयर निजी भूमि और 220.44 हेक्टेयर वन भूमि शामिल है
5. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :-

| SN | Information Required         | Details                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Project                      | SIA/MP/RIV/518356/2024. Dtd. 13.01.25<br><br>I(c) River Valley Project. New B1                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. | Project Proponent            | Chief Engineer, NVDA Lower Narmada Pojects, Narmada Bhavan, B-G, Scheme No. 74-C, Vijay Nagar Indore (MP)                                                                                                                                                                                                            |
| 3. | Project Name                 | Prior Environment Clearance for Kukshi Micro Lift Irrigation Project has been conceived to cater irrigation water to about 75,000 Ha. of CCA in Dhar district. (115 villages of Kukshi Tehsil, 98 villages of Gandwani tehsil, 01 village of Dahi Tehsil and 33 villages of Manawar Tehsil, District-Dhar) (MP)      |
| 4. | Project Brief Summary        | The Kukshi Micro Lift Irrigation Project has been conceived to cater irrigation water to about 75000 Ha. of CCA in Dhar district. Total 115 villages of Kukshi Tehsil, 98 village of Gandhwani Tehsil, 1 village of Dahi tehsil and 33 villages of Manawar tehsil of Dhar District will be benefited by this scheme. |
| 5. | Project Proposal For         | New.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6. | Supply Source/ Lifting Point | Narmada River                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7. | Latitude/Longitude           | 74052'41.6" E / 22004'47.6" N                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8. | District                     | Dhar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9. | Village to be benefited      | 247 nos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 909वी बैठक दिनांक  
11.11.2025 का कार्यवाही विवरण**

|     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Delivery Point                                             | Near village<br>1. Village- Dahar (DC1)<br>2. Village- - Sulgaon,& Masanya (DC2)<br>3. Village- Bhagiyapura (DC3)<br>4. Village- Jamlabag (DC4)<br>5. Village- Bakhatala (DC5)<br>6. Village- Sangibawdi (DC6)<br>7. Village- Ambasoti (DC7) |
| 11. | Length of Main Canal (in m) (for Irrigation project);      | 109785 (109.78 km)                                                                                                                                                                                                                           |
| 12. | Length of Distributaries (in m) (for Irrigation project) : | 8463120 (8463.12 km)                                                                                                                                                                                                                         |
| 13. | Cultural Command Area (ha) :                               | 75000                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14. | Water Needed                                               | 29.25 cumec                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15. | Nearest Major Town                                         | Susari 16 km                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16. | Nearest Railway station                                    | Indore 160 km                                                                                                                                                                                                                                |

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 768वीं बैठक दिनांक 28.01.2025 में की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:—

- Stage-I Forest clearance में निहित शर्तों का पालन सुनिश्चित करें ।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग की जाये ।
- बिजली के वैकल्पिक स्रोत के रूप में परियोजना प्रस्तावक को पंप हाउस के उचित संचालन के लिए आवश्यक सौर पैनल स्थापित करना सुनिश्चित करना चाहिए ।
- यदि संचालन अवधि के दौरान दलदली भूमि का निर्माण होता है, तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए ।

(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 909वी बैठक दिनांक  
11.11.2025 का कार्यवाही विवरण

- v. परियोजना प्रस्तावक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुशंसित ई-प्रवाह को हर समय संबंधित बैराजों के तत्काल नीचे की ओर बनाए रखा जाना e-flow चाहिए। E-flow को छोड़ने के बाद शेष पानी सिंचाई के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।
- vi. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 768वीं बैठक दिनांक 28.01.2025 की कार्यवाही विवरण, अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों के साथ उपरोक्त बिंदु i से vi एवं परिशिष्ट-1 को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 909वी बैठक दिनांक  
11.11.2025 का कार्यवाही विवरण

17. Proposal No.: SIA/MP/MIN/541545/2025 Case No. P2/1709/2025 Prior Environment Clearance for Stone Mine (opencast semi mechanized method), in an area of 2.0ha, for production capacity 74,999.4 Cum/Year, at Khasra No. 636, 645, Village - Morgaon, Tehsil- Sardarpur, District- Dhar (M.P.) by M/s Madhav Infra Projects Limited, R/O-Plot No.4 Madhav House, Near Panchratan Building, Subhanpura, District Vadodara, State-Gujrat

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 828वी बैठक दिनांक 16.09.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा निर्णय लिया गया कि समय अभाव के कारण उक्त प्रकरण को आगामी अन्य बैठक के एजेण्डे में शामिल किये जाने हेतु Defer किया जाता है। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 909वी बैठक दिनांक  
11.11.2025 का कार्यवाही विवरण

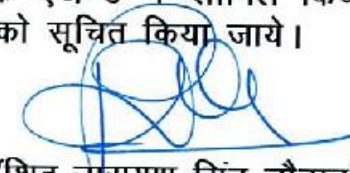
18. Proposal No.: SIA/MP/MIN/551513/2025, Case No. P2/1971/2025 Prior Environment Clearance for Stone Mine (opencast semi mechanized method), in an area of 4.00 ha. for production capacity 1,62,500 Cub Meters at Khasra no 1476/1, Village - Parichchha Ahir, Tehsil – Pohari, District - Shivpuri (M.P.) by Shri Pratav Singh Tomar, M/s Tomar Builders And Contractors Private Limited, A-1/8, Vinay Nagar, Sector-4, District – Gwalior (M.P.) – 474012

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 833वी बैठक दिनांक 08.10.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा निर्णय लिया गया कि समय अभाव के कारण उक्त प्रकरण को आगामी अन्य बैठक के एजेण्डे में शामिल किये जाने हेतु Defer किया जाता है। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 909वी बैठक दिनांक  
11.11.2025 का कार्यवाही विवरण

19. Proposal No.: SIA/MP/MIN/540218/2025 Case No. P2/1974/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 2.00 ha. for production capacity 70,000Cum/year, at Khasra No 180/1, Village - Indrawal, Tehsil – Badnawar, District- Dhar (M.P.) by Shri Tulsi Narayan Garg R/o Ward No. 04, Saraogi Mohalla, Sheopur (M.P.), 476337

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 833वी बैठक दिनांक 08.10.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा निर्णय लिया गया कि समय अभाव के कारण उक्त प्रकरण को आगामी अन्य बैठक के एजेण्डे में शामिल किये जाने हेतु Defer किया जाता है। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 909वी बैठक दिनांक  
11.11.2025 का कार्यवाही विवरण

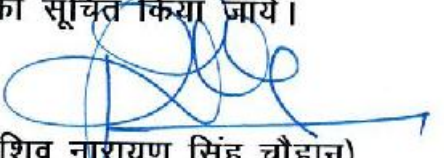
20. Proposal No.: SIA/MP/INFRA/524275/2025 Case No P2/1308/2025 Indore Development Authority, 7, Race Course Road, Indore, Madhya Pradesh, 452001. Prior Environment Clearance for Proposed Multistorey Premium Housing Project "CMR 4" is proposing a commercial project which is located at Scheme No. 136, Indore City, Distt.- Indore (M.P.), Total Plot area - 10308 m2 Total Built-up Area Area - 40933 m2, Cat. - 8(a). Building and Construction projects.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 830वी बैठक दिनांक 23.09.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा निर्णय लिया गया कि समय अभाव के कारण उक्त प्रकरण को आगामी अन्य बैठक के एजेण्डे में शामिल किये जाने हेतु Defer किया जाता है। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 909वी बैठक दिनांक  
11.11.2025 का कार्यवाही विवरण**

**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु :**

1. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/536870/2025, Case No. 152/2008, Prior Environmental Clearance for Dolomite mine, in an area 5.0 ha, for production capacity of 20000 MT/year, at Village Malegaon, Tehsil Suncer Chhindwara M.P. by M/s Rajkumar N. Tirpude Civil line, Nagpur, Maharashtra Regarding Transfer of EC in the name of Miraj Drymix Private Limited, Plot No 55-57 C, Bore Gaon Industrial Growth Center, Sausar, District - Chindwada (MP).**

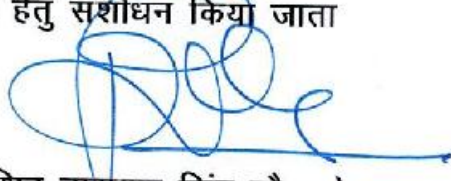
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 907वी बैठक दिनांक 30.10.2025 में उक्त प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्राधिकरण की उपरोक्त बैठक के कार्यवाही विवरण में प्रकरण का टाइटिल "प्रकरण क्र. 8492/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री बृजेश सोनी आत्मज श्री बाबूलाल सोनी, निवासी छोटी देवी मंदिर के पास, जिला टीकमगढ़ (म0प्र0) द्वारा क्वार्टज खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), विस्तार उत्पादन क्षमता 15,000 से 3,00,000 टन प्रतिवर्ष, रकबा 12.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 993/2 ग्राम दरगवां, तहसील टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन" टंकन त्रुटिवश अंकित हो गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण के टाइटिल "प्रकरण क्र. 8492/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री बृजेश सोनी आत्मज श्री बाबूलाल सोनी, निवासी छोटी देवी मंदिर के पास, जिला टीकमगढ़ (म0प्र0) द्वारा क्वार्टज खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), विस्तार उत्पादन क्षमता 15,000 से 3,00,000 टन प्रतिवर्ष, रकबा 12.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 993/2 ग्राम दरगवां, तहसील टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन" के स्थान पर टाइटिल Case No. 152/2008, Prior Environmental Clearance for Dolomite mine, in an area 5.0 ha, for production capacity of 20000 MT/year, at Village Malegaon, Tehsil Suncer Chhindwara M.P. by M/s Rajkumar N. Tirpude Civil line, Nagpur, Maharashtra Regarding Transfer of EC in the name of Miraj Drymix Private Limited, Plot No 55-57 C, Bore Gaon Industrial Growth Center, Sausar, District - Chindwada (MP)" पठन किये जाने हेतु संशोधन किया जाता है।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

- i. A grievances redress mechanism should be devised by WRD GoMP and put in place so that aggrieved PAFs and other stakeholders may approach the Authority easily for resolution of any dispute/conflict.
- ii. PP shall ensure that, land required for the proposed project is acquired and possession is taken only after payment of compensation to the land holders as per the provision of the Right to fair compensation and transparency in land acquisition Act amended from time to time.
- iii. A monitoring Committee for R & R shall be constituted which shall include representatives of project affected persons including representative from Sc/ST.
- iv. No additional land shall be used/acquired for any activity of the project without obtaining proper permission.
- v. PP to take utmost precaution for health and safety of the people working in the project as also for protecting the environment.
- vi. In the event of the failure of any pollution control system adopted by the project proponent, the project shall be immediately put out of operation and shall not be restarted until the desired efficiency has been achieved.
- vii. A detailed scheme for rainwater harvesting shall be prepared and implemented to recharge ground water.
- viii. To enhance the natural environmental quality & aesthetics of project site, plantation, as proposed in the EMP Report shall be undertaken in the proposed area. Allocated grant for this purpose shall be fully utilized separately and not to be diverted for any other purpose.
- ix. Occurrence of stagnant pools/slow moving water channels during construction and operation of the project may provide breeding source for vector mosquitoes and other parasites. The river should be properly channelized so that no small pools and puddles are allowed to be formed. Even after taking precaution, due to unforeseen situations, breeding of mosquito and resultant malaria or mosquito borne diseases can increase. If such a situation arises, it will be the responsibility of project authorities to take all steps i.e. residual insecticidal spray in all the project area and surrounding 3 km. Area keeping the flight range of mosquitoes in consideration. Also medical assistance to be provided to the affected people at the cost of the developer and appropriate health benefits may be initiated with the help of State Health Department. It is recommended that contractors should enforce standards, recommended by Occupational Safety and Health Administration (OSHA).
- x. Regular monitoring of water quality (Surface and Ground) including heavy metals shall be undertaken in the project area and around the project area to ascertain the change, if any, in the water quality due to leaching of contaminants, if any, from the increased use of chemical fertilizers and pesticides.
- xi. PP should ensure the pumps and pump house building are designed in such a way that outside noise levels will not exceed the CPCB standards.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 909वी बैठक दिनांक  
11.11.2025 का कार्यवाही विवरण

- xii. As alternate source of power PP should ensure to install required solar panels to proper running of Pump house.
- xiii. The budgetary provisions for implementation of EMP, shall be fully utilized and not to be diverted to any other purpose. In case of revision of the project cost or due to price level change, the cost of EMP shall also update proportionately.
- xiv. If marshy land create during operation period the adequate measure should be taken by PP.
- xv. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM issued vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated: 25 February 2021, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility and Environmental Management Plan.
- xvi. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F. No. 22-65/2017-IA.III dated 1<sup>st</sup> May 2018 regarding Corporate Environment Responsibility. The activities under CER shall be worked out as per the para no. (V) of the aforesaid OM and shall be restricted to the affected area around the project. The entire activities under CER shall be treated as project and shall be monitored. The monitoring report shall be submitted to the regional office as a part of half-yearly compliance report and to a District Collector.
- xvii. PP needs to comply the OM dated 24.07.2024 of MoEFCC, where it is stated that the plantation of saplings shall be carried out in the earmarked 33% greenbelt area as part of the tree plantation campaign " EK Ped Ma ke Naam" (and the details of the same shall be uploaded in the MeriLife portal (<https://merilife.nic.in>)).
- xviii. The validity of the Environmental Clearance (EC) extends up to 13 years to the start of production operations or the commissioning of the project. The EC's validity becomes perpetual if production operations commence on or before the specified date. Should the Project Proponent fail to initiate production operations within the EC validity period, an application for an extension must be submitted to the regulatory authority, in accordance with Para 9.0 of the EIA Notification, 2006, as amended.